(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना–800023.

विषय: मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र–बीरेन्द्र सिंह, पताः लखीबाग मानपुर, जिला–गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा–सुल्तानपुर, तहसिल–वारिसलीगंज, ब्लाक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा में **स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मैसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र–बीरेन्द्र सिंह, पताः लखीबाग मानपुर, जिला–गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा–सुल्तानपुर, तहसिल–वारिसलीगंज, ब्लाक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 22.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई **हेतु प्रेषित।**

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदारः श्री अमित कुमार, पुत्र–**बीरेन्द्र सिंह, पताः** लखीबाग मानपुर, जिला–गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 07 (सुलतानपुर/**बिशुनपुर**) बालु घाट, मौजा–सुल्तानपुर, तहसिल–वारिसलीगंज, ब्लाक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा को **सूचनार्थ** प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 1791 पटना, दिनांक :– 15-9-23

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 22.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 22.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

13/9/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदारः श्री अमित कुमार, पुत्रः बीरेन्द्र सिंह, पताः लखीबाग मानपुर, जिलाः गया (नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर बालू घाट, मौजाः सुल्तानपुर, तहसिलः वारिसलीगंज, ब्लॉकः वारिसलीगंज, जिलाः नवादा) का नवादा जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 22.08.2023 को अपराहन 05.:15 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला—नवादा के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2437/2023, dated 09.06.2023 के आलोक में श्री उज्जवल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 05:15 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला—नवादा में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक—1)**

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 19.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक—सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर बालू घाट, मौजाः सुल्तानपुर, तहसिलः वारिसलीगंज, ब्लॉकः वारिसलीगंज, जिलाः नवादा के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योंजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः है:–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री अशोक कुमार, ग्रामः महमदलीचक, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदे वाहनों को ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते में धीमी गति से परिचालन करने का आश्वासन दिया जाय, ततपश्चात् ही इस बालू घाट का संचालन शुरू किया करने की अनुमति प्रदान कि जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा कमिटि के समक्ष स्वीकार किया गया।
2.	श्री दिनानाथ प्रसाद, ग्रामः महमदलीचक, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देतें हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री दिनानाथ प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री रामाशीष प्रसाद, ग्रामः पैगरो, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदे वाहनों को ग्रामीण क्षेत्र में धीमी गति से परिचालन किया जाय, स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय ततपश्चात् बालू घाट का संचालन शुरू किया जाय।

		उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री मनोज कुमार, ग्रामः कोमरी दीधा, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमति रूप से जल का छिड़काव किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
5.	श्री विकास कुमार, ग्रामः विशनपुर, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से हमलोगो को कोई परेशानी नहीं है। जल्द से जल्द बालू घाट का संचालन नियमानुकुल शुरू करने का अनुरोध किया ताकि होने वाले अवैध खनन पर रोग लगे।
6.	श्री ललन प्रसाद, ग्रामः महमदलीचक, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जल्द से जल्द बालू घाट का संचालन शुरू किया जाय जिससे अवैध बालू खनन पर रोक लग जाय, धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमति रूप से जल का छिड़काव किया जाय साथ ही ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
7.	श्री मोहम्मद असरफ अली, ग्रामः पैंगरी, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा भी रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री दिनानाथ प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
8.	श्री अजीत कुमार, ग्रामः बागी वरडीहा, अंचलः वारसलीगंज, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा भी सुझाव दिया गया कि जल्द से जल्द बालू घाट का संचालन शुरू किया जाय, धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमति रूप से जल का छिड़काव किया जाय साथ ही ज्यादा से ज्यादा

		वृक्षारोपण किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,
गया

अपर समाहर्त्ता,
नवादा

उपस्थिति सूची

मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदारः श्री अमित कुमार, पुत्र–बीरेन्द्र सिंह, पताः लखीबाग मानपुर, जिला–गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा–सुल्तानपुर, तहसिल–वारिसलीगंज, ब्लाक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 22.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला–नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ujjwal Kr. Singh Addl. Collector [illegible]		[illegible]
2.	Prem Kumar Circle Office Warisaliganj		[illegible]
3.	[illegible] कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया	[illegible] 22.8.23
4.	MUKESH KUMAR	MDO, Navada	[illegible] 22/08/23
5.	सियाराम कंस्ट्रक्शन अमित कुमार लखीबाग मानपुर गया		[illegible] 22/08/2023
6.	संतोष कुमार	ग्राम - रननीपुर पो० - भारत [illegible] प्र० - अकबरपुर नवादा	Santosh Kumar
7.	नवीन कुमार	ग्राम रननीपुर पो० - भारत [illegible] प्र० - अकबरपुर (नवादा)	नवीन कुमार
8.	मुन्ना सिंह	ग्राम - रननीपुर पो० - भारत [illegible] प्र० - अकबरपुर (नवादा)	मुन्ना सिंह
9.	[illegible] कुमार	ग्राम - [illegible] पो० - [illegible] प्र० - [illegible] नवादा	[illegible] कुमार

10.	दिनेश कुमार	ग्राम बिशुनपुर	दिनेश कुमार
11.	अशोक कुमार	ग्राम - [illegible] पो० - [illegible]	अशोक कुमार
12.	मनोज कुमार	ग्राम - [illegible]	मनोज कुमार
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	ग्राम - [illegible]	[illegible]
15.	DILIP PANDEY	Anti, Nawada	Dilip
16.	Asoy Kum	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	✓	[illegible]
18.	विजय कुमार	लोहियापुरा	विजय कुमार
19.	Ajeet Kumar	[illegible]	[illegible]
20.	Bipin Kumar	Bagibardiha	B K sm

21.	प्रदीप कुमार	बिशनपुर	प्रदीप कुमार
22.	सुधीर प्रसाद	बिशनपुर	सुधीर प्रसाद
23.	राकेश कुमार	बिशनपुर	
24.	राजाराम यादव	बिशनपुर	राजाराम यादव
25.	बबलू कुमार	बिशनपुर	
26.	विकास कुमार	बिशनपुर	विकास कुमार
27.	नवलेश कुमार	बिशनपुर	नवलेश कुमार
28.	सुधीर कुमार	बिशनपुर	सुधीर कुमार
29.	मुकेश कुमार	बिशनपुर	मुकेश कुमार
30.	लालदेई	बिशनपुर	लालदेई
31.	प्रिंस कुमार	बिशनपुर	प्रिंस कुमार

32.	अनूप सिंह	विशनपुर	अनूप सिंह
33.	सुरेश महतो	विशनपुर	सुरेश महतो
34.	राजीव कुमार	विशनपुर	राजीव कुमार
35.	सुधीर महतो	विशनपुर	सुधीर महतो
36.	Amul Kr	विशनपुर	Amul Kr
37.	[illegible] महतो	विशनपुर	[illegible] महतो
38.	संजीव कुमार	विशनपुर	संजीव कुमार
39.	निलेश कुमार	सुल्तानपुर	निलेश कुमार
40.	शिव कुमार	सुल्तानपुर	शिव कुमार
41.	अंशु कुमार	सुल्तानपुर	अंशु कुमार
42.	टमाटर महतो	सुलतानपुर	टमाटर महतो
43.	मोहलाल रवि	पैंगारी	मोहलाल रवि
44.	मो० अशरफ़ी आलम	पैंगारी	मो० अशरफ़ी आलम
45.	कुणाल कश्यप	खरमनचक, भागलपुर	Kunal
46.			

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई–मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्सन, श्री अमित कुमार, पुत्र–विरेन्द्र सिंह, पताः लखीबाग मानपुर, जिला–गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉकः 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा–सुल्तानपुर, तहसिल–वारिसलीगंज, ब्लाक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचााराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक–सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालाय, पटना, जिला पदाधिकारी, नवादा; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा; महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, नवादा एवं जिला खनन कार्यालय, नवादा के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाईटः http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई–मेलः msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी ता सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया हैः–

दिनांकः	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
22.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	वारिसलीगंज, जिला–नवादा	नवादा जिला अन्तर्गत सुल्तानपुर	सकरी नदी ब्लॉकः 07	अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला–नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव /विचार से अवगत करायेगें।

सदस्य सचिव

PR. No. 005437 (Ni.Ni) 2023-24

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

Nawada-7

प्रभात खबर Date - 19/07/23

“लोक-सुनवाई”

“लोक-सुनवाई”

“लोक-सुनवाई”

“लोक-सुनवाई”

आयोजकः-